

आर्थिक अपराध ब्यूरो की छूट के खिलाफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नयिम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक महत्वपूर्ण नरिणय में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नरिणय दया है कि छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध जाँच ब्यूरो को सूचना का अधिकार (RTI) अधनियिम, 2005 के प्रावधानों से छूट देते हुए 7 नवंबर, 2006 की अधसूचना कथति अधनियिम की धारा 24(4) के पहले प्रावधान का खण्डन करती है।

मुख्य बढि:

- नरिणय के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन वभिग द्वारा जारी अधसूचना सरकार को उक्त ब्यूरो द्वारा की गई संवेदनशील और गोपनीय गतविधियों से संबंधति जानकारी को छोड़कर, ब्यूरो से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधति जानकारी को रोकने की अनुमतति नहीं दे सकती है।
 - इस फैसले के आलोक में न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण अधसूचना जारी करने का नरिदेश दया।
- 15 नवंबर, 2016 को RTI कार्यकर्त्ता और याचकिाकर्त्ता ने एक आवेदन दायर कर आर्थिक अपराध जाँच ब्यूरो से जानकारी मांगी थी।
 - जवाब में आर्थिक अपराध वभिग ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दया कि राज्य सरकार ने 7 नवंबर, 2006 को जारी अधसूचना के जरयि एजेंसी को सूचना का अधिकार अधनियिम के तहत जानकारी देने से छूट दे दी है।
 - इस अधसूचना को चुनौती देते हुए, RTI कार्यकर्त्ता ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक याचकिा दायर की, जसिमें कहा गया कि सूचना का अधिकार अधनियिम, 2005 की धारा 24 (4) में उल्लेख है कि किसी भी संस्थान को भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधति जानकारी प्रदान करने से छूट नहीं दी जा सकती है।

सूचना का अधिकार (RTI) अधनियिम, 2005

- सूचना का अधिकार अधनियिम एक वधायी ढाँचा है जो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों के पास उपलब्ध जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 2005 में अधनियिमति इस अधनियिम का उद्देश्य सरकारी प्रक्रयिओं में पारदर्शति, जवाबदेही और भागीदारी को बढावा देना है।
- इसने सूचना की स्वतंत्रता अधनियिम 2002 को प्रतस्थापति कया है।
- RTI अधनियिम की धारा 22 के अनुसार, इस अधनियिम के प्रावधान वर्ष 1923 के आधिकारिक गोपनीयता अधनियिम, मौजूदा कानूनों अथवा इस अधनियिम के अलावा अन्य कानूनों के माध्यम से स्थापति किसी भी समझौते के साथ किसी भी वरिधाभास के बावजूद प्रभावी होंगे।